

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./57-ए/ए/2009/771

भोपाल, दिनांक 3.10.09

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला राजगढ़/राजगढ़/गुना,
मध्यप्रदेश

विषय: अध्यापक वर्ग के संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्यवाई उपरांत कमीपूति के संबंध में।

—0—

अध्यापक वर्ग के संविलियन हेतु विभिन्न मध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, राजगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के संविलियन तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमीपूति के संबंध में आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षा कर्मियों का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	सिमांक
1	2	3	4	5
1	श्रीमती स्मिता नागर दरिष्ठ अध्यापक शा.स.उमावि. खजूरिया जिला राजगढ़	जिला पंचायत राजगढ़ जि. राजगढ़ जा.क्र. 687 दि. 13.4.09	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 1008 दि. 27.8.09 शा.स.उमावि.श्यामपुर	जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर से रिक्त पद/सिविलियन की पुष्टि एवं रिक्त पद शा.स.उमावि. की भरती में शामिल नहीं किया गया है की पुष्टि उपरांत विचार किया जा सकेगा।
2	श्रीमती ज्योति नाईक अध्यापक शा.मा.वि.झलारा जिला शाजापुर	जनपद पंचायत आगर जिला शाजापुर जा.क्र.4842 दि. 04.10.08	नगर पालिका निगम इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 572 दि. 29.08.09 शा.सिंधी उ.मा.वि. इंदौर	आवेदिका द्वारा जिला पंचायत द्वारा जारी कार्यरत निकाय की अनापत्ति संलग्न नहीं की गई है। जिला पंचायत की अनापत्ति प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।
3	श्री रघुनंदन चवोटिया अध्यापक (धिकलांग) शा.न.मा.वि.गोदलपुर जिला गुना	जनपद पंचायत राघोगढ़ जिला गुना जा.क्र. 272 दि. 09.09.09	जनपद पंचायत विजयपुर जिला श्यापुर जा.क्र. 136 दि. 12.09.09 शा.मा.शा. श्यापुर शा.हाईस्कूल श्यामपुर	आवेदिका द्वारा जिला पंचायत द्वारा जारी कार्यरत/संविलियन निकाय की अनापत्ति संलग्न नहीं की गई है। जिला पंचायत की अनापत्ति प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकेगा। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमीपूति हेतु पुनः आवेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाए।
आयुक्त द्वारा अनुमोदित

उपसंचालक 03/10/09

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक - 3.10.09

पृष्ठा.क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/57-ए/09/772
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनाार्थ।
5. कम्प्यूटर समन्वयक, स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

उपसंचालक 03/10/09
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश